निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 07 वर्ष 2017-18 यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कियी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय,महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय उत्तराखण्ड, देहरादून के माह 08/2015 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री ए.के. श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री खजान सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री आनन्द कुमार पाण्डेय, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 24.04.2017 से 06.05.2017 तक श्री प्रेमचन्द,वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित सम्पेक्षा पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

**भाग- प्रथम**

1- परिचयात्मक- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री टी0एस0 नेगी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री ललित थपलियाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 05.08.2015से 14.08.2015 तक श्री पुष्कर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण मे सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 08/2014 से 07/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 08/2015 से 04/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र- देहरादून।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत् हैः-

(रू लाख में)

| | प्रारम्भिक अवशेष | | स्थापना | | गैर स्थापना | | आधिक्य(+) | बचत(-) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | स्थापना | गैर स्थापना | आवंटन | व्यय | आवंटन | व्यय | | |
| 2014-15 | 101.64 | 21.23 | 100.54 | 95.46 | 19.50 | 15.78 | - | 10.44 |
| 2015-16 | 107.45 | 13.08 | 107.45 | 103.71 | 12.68 | 10.85 | - | 6.27 |
| 2016-17 (अप्रैल 2017 तक) | 130.30 | 18.13 | 130.30 | 120.72 | 16.19 | 11.98 | - | 10.46 |

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् हैः-

(रू लाख में)

| वर्ष | योजना का नाम | प्रारम्भिक अवशेष | प्राप्त | व्यय | आधिक्य(+) | बचत(-) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | सीसीटीएनएस | -(0.04) | 315.29 | 290.32 | - | 24.93 |
| 2015-16 | | 24.93 | 200.00 | 136.76 | - | 88.17 |
| 2016-17 | | 88.17 | 1147.81 | 369.55 | - | 866.43 |
| 2014-15 | पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना | - | 1341.00 | 1094.00 | - | 247.00 |
| 2015-16 | | 247.00 | 447.00 | 226.6 | - | 250.4 |
| 2016-17 | | 250.4 | 1010.4 | 1024.84 | - | 235.96 |

(iii) इकाई का वित्त पोषण बजट आवंटन(स्रोत बताया जाय) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुये इकाई कार्यालय, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय उत्तराखण्ड़, देहरादून 'ए' श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः

पुलिस महानिदेशक, अपर पुलिस महा निदेशक-2, पुलिस महानिरीक्षक-5, अपर पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप-महानिरीक्षक-4, पुलिस उप-महानिरीक्षक-पीएसी एवं पुलिस उप-महानिरीक्षक-गढ़वाल, कुमायू, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक।

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः कार्यालय, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय उत्तराखण्ड़, देहरादून की लेखापरीक्षा में लेन-देन-कम-अनुपालन........................................... को आच्दादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय उत्तराखण्ड़, देहरादून की लेखापरीखा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2016 एवं 03/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के(कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्ते) अधिनियम,1971(डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13 एवं 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

[illegible] ([illegible])

**[illegible] 01 [illegible] 108.08 [illegible]**

[illegible] प्र[illegible] 2016-17 [illegible] 108.08 [illegible] 2017 [illegible]

| [illegible]0[illegible]0 | [illegible] | [illegible] | [illegible] 2016.17 [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|---|
| 01 | [illegible] | 703042081 | 25000000 | 453042081 |
| 02 | [illegible] | 50967194 | 10000000 | 40967194 |
| 03. | [illegible] | 165458657 | 10000000 | 65458657 |
| 04 | [illegible] | 62995000 | 10000000 | 52995000 |
| 05 | [illegible] | 158344377 | 50000000 | 58344377 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| □□□ | 1140807309 | 60000000 | 1080807309 |

□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ 2017-18 □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□ 100 □□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□, □□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□ □□ □□□□□□ 6 □□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□

□□□□ □□ 108.08 □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ उच्च अधिकारियो □□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□

□□□ □□ (□)

□□□□□□□□ **02** □□ **18.56** □□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□

□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ 2005 □□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□ 200 □□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ 800 □□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ , सिचाईं □□□□□□,□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□, □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□म □□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ 06 □□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□

□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□

01. □□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ .2008 □□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ 2 □□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ 15.25 □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□

02 □□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ .2014 □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ /□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ 06 □□□□□ □□□□□□ 08 □□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ 3.31 □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□

□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□ □□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□

□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ 2005 □□ □□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□

□□□ □□ 18.56 □□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□

□□□ □□ (□)

**प्रस्तर-03 रु 166.16 लाख की धनराशि बिना भूमि उपलब्धता के कार्यदायी संस्था के पास अवरुद्ध रहना।**

शासन द्वारा मार्च 2015 में जनपद रुद्रप्रयाग में टाइप -2 के आवासीय भवनो का निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में रु 24.25 लाख की धनराशि क्रय हेतु वित्तीय प्रशासकीय स्वीकृत प्रदान की गई थी। जिसके सापेक्ष अप्रैल 2015 में रु 24.05 लाख की धनराशि अवमुक्त कर दिया गया।

शासन द्वारा मार्च 2010 में जनपद चमोली में थाना पोखरी के प्रशासनिक भवन के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2009-10 में रु 70.25 लाख की धनराशि क्रय हेतु वित्तीय/ प्रशासनिक स्वीकृत प्रदान की गई थी। जिसके सापेक्ष रु 70.25 लाख मार्च 2010 में कार्यदायी संस्था को अवमुक्त कर दिया गया।

शासन द्वारा मार्च 2015 में जनपद- नैनीताल में चौकी हंस पुखला के आवासीय/ आवासीय भवनो का निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में रु 71.84 लाख की धनराशि व्यय हेतु वित्तीय/ प्रशासकीय स्वीकृत प्रदान की गई थी। उक्त राशि रु 71.84 लाख की धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त कर दिया गया।

कार्यालय – पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय उत्तराखण्ड, देहरादून के निर्माण कार्य पत्रावलू की जांच में पाया गया है, कि जनपद-रुद्रप्रयाग में टाइप-2 के आवासीय भवनो का निर्माण हेतु भूमि उपलब्धता नही हो सका है। इसी प्रकार जनपद चमोली के थाना पोखरी के प्रशासनिक भवन के निर्माण हेतु वर्ष 2009-10 से भाग तक भूमि उपलब्धता नही हो पाई है। इसी प्रकार भूमि के अभाव में नैनीताल में हंसपुरखत्ता के भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ नही किया गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर में कहा है कि भूमि के अभाव में पुलिस चौकी हंसपुरखत्ता, रुद्रप्रयाग एवं थाना पोखरी का कार्य प्रारम्भ नही हो सका। उत्तर मान्य नही है, क्योंकि भूमि उपलब्ध नही थी, तो धनराशि क्यों अवमुक्त की गई। उक्त धनराशि अवमुक्त की तिथि से सम्प्रेक्षा तिथि अप्रैल 2017 तक कार्यदायी संस्था के खाते में अवरुद्ध थी। जोकि वित्तीय नियमो के विपरीत है।

अतः रु 166.16 लाख की धनराशि बिना भूमि उपलब्धता सुनिश्चित किये ही कार्यदायी संस्था को अवमुक्त किया जाना तथा 2 से 7 वर्षों तक कार्यदायी संस्था के पास अवरुद्ध रहने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

**भाग-II 'ब'**

**प्रस्तर-01 रु 490.72 लाख व्यय के बावजूद उद्देश्यो की पूर्ति न होना एवं कार्य अपूर्ण रहना।**

शासन द्वारा मार्च 2014 को जनपद टिहरी में पुलिस चौकी कुमालडा के भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में रु 69.20 लाख की धनराशि व्यय हेतु स्वीकृत प्रदान की गई थी, जिसके सापेक्ष समस्त धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त कर दिया गया। जिसमें 85% □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□

शासन द्वारा मार्च 2014 के अनुसार जनपद टिहरी में पुलिस चौकी दुगण्डा में प्रशासकीय भवन एवं टाइप-2 के 01 आवास का निर्माण कार्य हेतु वित्तीय/प्रशासकीय रु 68.69 लाख स्वीकृत प्रदान की गई थी। जिसके सापेक्ष समस्त धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त कर दिया गया। अभी तक अवशेष भवनो का कार्य प्रारम्भ नही किया गया था।

शासन द्वारा मार्च 2014 में जनपद टिहरी में पुलिस चौकी वच्छे की खाल के प्रशासकीय भवन का निर्माण कार्य हेतु रु 58.10 लाख की धनराशि व्यय हेतु स्वीकृत प्रदान की गई थी। उक्त समस्त धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त कर दिया गया था। केवल 90% कार्य पूर्ण है।

शासन द्वारा फरवरी 2015 में जनपद टिहरी में कैलाशगेट के चौकी के प्रशासकीय भवन के निर्माण हेतु रु 52.38 लाख की धनराशि व्यय हेतु स्वीकृत प्रदान की गई थी। उक्त समस्त धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त कर दी गई। वर्तमान तक 75% कार्य पूर्ण शेष अपूर्ण है।

शासन द्वारा फरवरी 2015 में जनपद टिहरी में चौकी तपोवन में प्रशासकीय भवन एवं टाइप-2 रु 77.33 लाख में एक आवास का कार्य पूर्ण किया जाना था। उक्त समस्त धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त कर दिया गया। 75% कार्य पूर्ण शेष अपूर्ण है।

शासन द्वारा फरवरी 2015 में जनपद टिहरी में चौकी जाजाल के प्रशासकीय भवन का निर्माण हेतु रु 69.28 लाख की धनराशि व्यय हेतु स्वीकृत प्रदान की गई थी। समस्त धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त कर दी गई। 75% तक कार्य पूर्ण शेष कार्य अपूर्ण है।

शासन द्वारा फरवरी 2015 में जनपद टिहरी में जाम पुलिस चौकी मुनि की रेती शिवकुटी में प्रशासकीय भवन एवं टाइप-2 का आवास के निर्माण हेतु रु 96.74 लाख की धनराशि व्यय हेतु स्वीकृत प्रदान की गई थी। उक्त समस्त धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त कर दिया गया। केवल 85% तक कार्य पूर्ण शेष कार्य अपूर्ण है।

कार्यालय पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के निर्माण कार्य पत्रावली की जांच में पाया गया है कि उपरान्त समस्त चौकी का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया गया। परन्तु भवन में सेनेट्री जांच संयोजन, बिजली, ड्रेनेज कर्क, बाउन्ड्रीवाल तथा लाडूर डेवलपमेन्ट का कार्य अपूर्ण है।

इस सम्बन्ध में सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर में कहा है कि जो भवन पूर्ण हो गया, उसका उपयोग किया जा रहा है, हस्ताक्षर पत्र संलग्न है। उत्तर मान्य नही है क्योंकि विभाग द्वारा उपरोक्त कार्यों का हस्तान्तरण प्रस्तुत नही किया गया है। उपरान्त समस्त चौकी में सेनेट्री जल संयोजक, बिजली, ड्रेनेज कर्क, बाउन्ड्रीवाल, लाडूर डेवेलपमेन्ट का कार्य अपूर्ण है इसके बाद भी अपूर्ण चौकी का हस्तगत नही किया जा सकता है।

अतः 490.72 लाख व्यय के बावजूद भी उदेश्यो की पूर्ति का न होने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

**भाग-II 'ब'**

**प्रस्तर-02 रू 42.35 लाख की सामग्री का अनियमित क्रय का प्रकरण।**

उत्तराखण्ड़ अधिप्राप्ति(प्रोक्युरमेंट) नियमावली, 2008 के नियम -9 के अनुसार, प्रत्येक अवसर पर रू 0.15 लाख से अधिक तथा रू 1.00 लाख तक एवं उत्तराखण्ड़ अधिप्राप्ति(प्रोक्युरमेंट)(संशोधन)नियमावली, 2015 के अनुसार, प्रत्येक अवसर पर रू 0.50 लाख से अधिक तथा रू 3.00 लाख तक लागत की सीमा में क्रय की जाने वाली सामग्री का क्रय विभागाध्यक्ष द्वारा सम्यक रूप से गठित तीन समुचित स्तर के सदस्यों की स्थानीय क्रय समिति की संस्तुतियों पर किया जा सकता है। अधिप्राप्ति के मौलिक सिद्धान्त के बिन्दु संख्या-10 के अनुसार, निम्नतर दरों का लाभ प्राप्त करने के लिए यथासाध्य अधिकतम आवश्यक मात्रा की एक साथ अधिप्राप्ति का प्रयास किया जाए। अधिप्राप्ति मूल्य कम करने के लिए आवश्यक मात्रा को विभाजित नहीं किया जाएगा और न ही कुल आवश्यकता के आकंलित मूल्य के सन्दर्भ में अपेक्षित उच्चतर प्राधिकारी की संस्वीकृति प्राप्त करने की अवश्यकता से बचने के लिए छोटे-छोटे भागों में विभक्त किया जाएगा।

कार्यालय, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय उत्तराखण्ड़, देहरादून के सामग्री क्रय से सम्बंधित अभिलेखों एवं बिलों/वाउचरों की जांच में पाया गया कि कार्यालय द्वारा माह मार्च 2016 में तीन फर्मों से रू 27.17 लाख( सलंग्न **परिशिष्ट-'अ')/** एवं मार्च 2017 में दो फर्मों से रू15.18 लाख **( सलंग्न परिशिष्ट-'ब')** अर्थात दोनो वित्तीय वर्षों में रू 42.35 लाख (परिशिष्ट-'अ'+'ब') की कुल धनराशि से सामग्री का क्रय कोटेशन के आधार पर किया गया था। उक्त सामग्री का क्रय करते समय एक ही फर्म को एक ही तिथि में एक से अधिक क्रय आदेश एवं एकान्तर क्रम मे क्रय आदेश जारी करके सामग्री की आवश्यक मात्रा को छोटे-2 भोगों में विभाजित कर अधिप्राप्ति मूल्य को कम करके किया गया था। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत सामग्री के क्रय करते समय उपरोक्त नियमावली के नियमों का उलघंन्न कर प्रश्नगत फर्मों से कोटेशन प्राप्त करके क्रय किया गया था। जो निविदा/टेंडर अमंत्रित कर प्रतिस्पर्धात्मक दरों का पूर्ण लाभ प्राप्त कर किया जा सकता था जो विभाग द्वारा नहीं किया गया।

उपरोक्त आपत्ति के सम्बंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने अपने प्रतिउत्तर में बताया कि क्रय की गई सामग्री की प्रकृति पृथक होने के कारण प्रत्येक सामग्री हेतु पृथक-पृथक मार्केट सर्वे किया गया। तथा सभी सामग्री एक फर्म मे उपलब्ध न होने के कारण विभिन्न फर्मों से कोटेशन के आधार पर क्रय की गयी। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा प्रश्नगत् सामग्री पांच फर्मों को एक ही तिथि को एक से अधिक एवं एकान्तर क्रम में क्रय आदेश जारी कर उपरोक्त नियमवली के नियमों की अवहेलाना करके क्रय किया गया था। जो विभाग के द्वारा की गयी पुष्टि एवं सलंग्नक परिशिष्ट-'अ' और परिशिष्ट-'ब' से स्पष्ट होता है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

## परिशिष्ट- 'अ'

वर्ष -2015-16

| क्र0स0 | फर्म का नाम | क्रय की सामग्री का नाम | बिल/वाउचर की तिथि | क्रय आदेश की तिथि | धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frontier General Store, Haridwar | क्रिकेट खिलाड़ी हेतु सामग्री | 15.02.2016 | 02.03.2016 | 113243 |
| 2 | Frontier General Store, Haridwar | बाक्सिंग ग्लव्स-24 अद्द, पंचिंग ग्लव्स-06, बॉक्सिंग बैग, रिंग शूज, बॉक्सिंग किट | 10.03.2016 | 04.03.2016 | 162204 |
| 3 | Frontier General Store, Haridwar | लोवर, टी- शर्ट | 09.03.2016 | 07.03.2016 | 299250 |
| 4 | Frontier General Store, Haridwar | जिमनास्टिक टीम हेतु सामग्री क्रय | 04.02.2016 | 02.02.2016 | 108675 |
| 5 | Frontier General Store, Haridwar | आर्चरी टीम हेतु सामग्री क्रय | 06.02.2016 | 05.02.2016 | 297150 |
| 6 | Frontier General Store, Haridwar | विभिन्न खेलो की सामग्री | 05.02.2016 | 14.02.2016 | 70203 |
| 7 | Frontier General Store, Haridwar | विभिन्न खेलो की सामग्री | 10.02.2016 | 15.02.2016 | 193830 |
| 8 | मैसर्स, शिव नरेश स्पोटर्स प्राइवेट लि0, करमपुरा नई दिल्ली | विभिन्न टीमों की प्लेइंग किट | 22.02.2016 | 15.02.206 | 249680 |
| 9 | मैसर्स, शिव नरेश स्पोटर्स प्राइवेट लि0, करमपुरा नई दिल्ली | बाक्सिंग रिंग हेतु कवर, कोरनर एवं रोप | 20.02.2016 | 01.02.2016 | 102573 |
| 10 | मैसर्स, शिव नरेश स्पोटर्स प्राइवेट लि0, करमपुरा नई दिल्ली | बाक्सिंग रिंग हेतु प्लेटफार्म, वुडन फ्लोर, हुक एण्ड एसोसियेट | 04.02.2016 | 25.01.2016 | 286950 |
| 11 | मैसर्स, मॉ मन्सा वैरायटीज, हरिद्वार | जूडो टीम हेतु क्रय | 05.02.2016 | 22.01.2016 | 153510 |
| 12 | मैसर्स, मॉ मन्सा वैरायटीज, हरिद्वार | हॉकी टीम हेतु क्रय | 08.02.2016 | 26.01.2016 | 118440 |
| 13 | मैसर्स, मॉ मन्सा वैरायटीज, हरिद्वार | तैराकी टीम हेतु सामग्री का क्रय | 08.03.2016 | 02.03.2016 | 68922 |
| 14 | मैसर्स, मॉ मन्सा वैरायटीज, हरिद्वार | बास्केटबाल व एथेलिक्टस टीमों हेतु क्रय | 10.03.2016 | 05.03.2016 | 92730 |
| 15 | मैसर्स, मॉ मन्सा वैरायटीज, हरिद्वार | विभिन्न टीमों हेतु क्रय | 16.02.2016 | 06.02.2016 | 211167 |
| 16 | मैसर्स, मॉ मन्सा वैरायटीज, हरिद्वार | वेटलिफ्टिंग टीम हेतु सामग्री का क्रय | 02.03.2016 | 16.02.2016 | 145425 |
| 17 | मैसर्स, मॉ मन्सा वैरायटीज, हरिद्वार | आर्चरी टीम हेतु क्रय | 01.03.2016 | 28.02.2016 | 42840 |
| | | | | **योग** | **2716792** |

## परिशिष्ट- 'ब'

वर्ष 2016-17

| क्र0स0 | फर्म का नाम | क्रय की सामग्री का नाम | बिल/वाउचर की तिथि/बिल सं0 | क्रय आदेश की तिथि | धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defence Equippers, Dehradun | फायर बूट | 18.02.2017/0132 | 03.02.2017 | 299725 |
| 2 | Defence Equippers, Dehradun | फायर हेलमैंट | 17.02.2017/0131 | 03.02.2017 | 299628 |
| 3 | मै0 क्लिफ क्लाईम्बर, देहरादून | काम्बैट यूनिफार्म | 09.03.2017/458 | 24.01.2017 | 299880 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | मै0 क्लिफ क्लाईम्बर, देहरादून | काम्बैट कैप | 03.03.2017/439 | 24.01.2017 | 25200 |
| 5 | मै0 क्लिफ क्लाईम्बर, देहरादून | सोल्डर बैंज | 03.03.2017/440 | 25.01.2017 | 34000 |
| 6 | मै0 क्लिफ क्लाईम्बर, देहरादून | बैरेट कैप | 03.03.2017/442 | 25.01.2017 | 300000 |
| 7 | मै0 क्लिफ क्लाईम्बर, देहरादून | सीटी | 03.03.2017/441 | 25.01.2017 | 54000 |
| 8 | मै0 क्लिफ क्लाईम्बर, देहरादून | काली वेब सिलिंग | 03.03.2017/444 | 28.01.2017 | 147000 |
| 9 | मै0 क्लिफ क्लाईम्बर, देहरादून | कली लेदर बेल्ट | 03.03.2017/443 | 28.01.2017 | 46800 |
| 10 | मै0 क्लिफ क्लाईम्बर, देहरादून | ऊनी बनियान पी0टी0आई0 | 20.02.2017/407 | 28.01.2017 | 12250 |
| | | | | **योग** | **1518483** |

**भाग-II 'ब'**

**प्रस्तर-03 रू 490.78 लाख की धनराशि पर टी0डी0एस0 कटौती न करने के परिणामस्वरूप राजकोष को रू 9.82 लाख राजस्व की हानि का प्रकरण।**

आयकर अधिनियम,1961 की धारा 194C के अन्तर्गत रू 30,000/- एवं अधिक धनराशि के भुगतान के प्रत्येक कन्ट्रेक्ट पर 2-प्रतिशत की दर से टी0डी0एस0 कटौति का प्राविधान है।

कार्यालय, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय उत्तराखण्ड, देहरादून के पुसिल बल की वर्दी वस्त्र आदि के क्रय सम्बंधित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में रू 134.85 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 में रू 355.93 लाख अर्थात दोनो वित्तीय वर्षों में रू 490.78 लाख की धनराशि का भुगतान ई-निविदा/टेंडर के आधार पर विभिन्न फर्मों को बिना आयकर कटौती के किया गया है जबकि उपरोक्त आयकर अधिनियम के अन्तर्गत रू 2.70 लाख(सलंग्न परिशिष्ट-'अ') तथा रू 7.12 लाख(सलंग्न परिशिष्ट-'ब') क्रमशः आयकर अर्थात दोनों वित्तीय वर्षों रू 9.82 लाख कुल आयकर आंकलित करके प्रश्नगत फर्मों से विधिवत आयकर की कटौती की जानी चाहिए थी। जिसके परिणामस्वरूप राजकोष को रू 9.82 लाख आयकर कटौती से सम्बंधित राजस्व की हानि का भार सहना पड़ा।

उपरोक्त आपत्ति के सम्बंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने प्रतिउत्तर में बताया है कि सम्बंधित फर्मों द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा नियमित रूप से अपना आयकर विवरण दाखिल किया जाता है वर्तमान में समस्त आहरण एवं वितरण कोषागार से ऑन-लाईन होने के कारण समस्त आहरित धनराशि का विवरण स्वतः ही सम्बंधित फर्म के PAN एवं TIN में अंकित हो जाता है एवं फर्म द्वारा अपने आयकर की गणना करायें जाने के उपरान्त टी0डी0एस0 की कटौती करायी जाती है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 से निर्देशानुसार फर्मों से 2-

प्रतिशत आयकर की कटौती की जायेगी। विभाग ने अपने उत्तर में यह भी बताया है कि सम्बंधित फर्में अपनी आयकर विवरण नियमित रूप से दाखित करते है लेकिन विभाग का यह कथन साक्ष्यों के अभाव में मान्य नहीं है क्योंकि उक्त अधिनियम में उल्लेखित है कि प्रत्येक कन्ट्रेक्ट के भुगतान( रू 30000एवं अधिक की राशि) पर टी0डी0एस0 की काटौती अन्यवार्य है तथा उपरोक्त अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी व्यक्ति, फर्म एवं कम्पनी से टी0डी0एस0 की कटौती उनके आय पर आंकलित आयकर से अधिक कटौती हो जाती है तो प्रश्नगत व्यक्ति द्वारा अपनी आई0टी0आर0 दाखिल करने के उपरान्त टी0डी0एस0 से सम्बंधित अधिक कटौती की धनराशि को आयकर विभाग द्वारा ब्याज सहित आनॅ-लाईन प्रश्नगत व्यक्ति के बैंक खाते में रिफन्ड के रूप में क्रिडिट की जाती है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

**परिशिष्ट- 'अ'**

| वित्तीय वर्ष 2015-16 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| क्र0स0 | फर्म का नाम | क्रय किये गये आयटमों के नाम | बिल सख्या एवं तिथि | बिल की धनराशि रु में | 2%आयकर कटौती (u/s 194C of IT Act 1961) रु में |
| 1 | लिबर्टी शूज लि0, देहरादून | एंकल बूट | 1580048851/18.1.2016 | 2079000 | 41580 |
| 2 | लिबर्टी शूज लि0, देहरादून | आर0ए0एफ0 शूज | 1510035897/14.03.2016 | 250866 | 5017 |
| 3 | भारतीय महिला खादी ग्रामोद्योग संस्थान, देहरादून | खाकी कोट कम्बेटे | 017/01.03.16 | 199122 | 3982 |
| 4 | भारतीय महिला खादी ग्रामोद्योग संस्थान, देहरादून | खाकी कोट कम्बेटे | 007/030.12.15 | 1357650 | 27153 |
| 5 | भारतीय महिला खादी ग्रामोद्योग संस्थान, देहरादून | सफेद ऊनी अण्डर पैन्ट | 018/01.03.2016 | 512000 | 10240 |
| 6 | भारतीय महिला खादी ग्रामोद्योग संस्थान, देहरादून | हेलमेट | 015/08.02.2016 | 674000 | 13480 |
| 7 | Girraj Knitwears, DDUN | बरसाती | 043/01.03.2016 | 987000 | 19740 |
| 8 | Girraj Knitwears, DDUN | ऊनी वी नेक जर्सी | 046/11.03.2016 | 1948000 | 38960 |
| 9 | Shree Ram Fabrics & Allied Industries, ludhiana | टेरीकाट कपड़ा खाकी | 81/12.03.2016 | 799862 | 1599 |
| 10 | Shree Ram Fabrics & Allied Industries, ludhiana | टेरीकाट कपड़ा खाकी | 77/22.12.2015 | 2098000 | 41960 |
| 11 | Shree Ram Fabrics & Allied Industries, ludhiana | अंगोला कमीज | 63/09.12.2015 | 868000 | 17360 |
| 12 | Shree Ram Fabrics & Allied Industries, ludhiana | कपड़ा सर्ज पतलून | 78/31.12.2015 | 1711500 | 34230 |
| | | | **योग** | **13485000** | **269699** |

**परिशिष्ट- 'ब'**

| वित्तीय वर्ष - 2016-17 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| क्र0स0 | फर्म का नाम | क्रय किये गये आयटमों के नाम | बिल की धनराशि | 2%आयकर कटौती (u/s 194C of IT Act 1961) |
| 1 | श्रुति इण्टरप्राईजेज, देहरादून | सूती दरी | 905625 | 18112 |
| 2 | श्रुति इण्टरप्राईजेज, देहरादून | नायालॉन बैल्ट | 515793 | 10315 |
| 3 | लिबर्टी शूज लि0, करनाल | एंकल बूट | 3762000 | 75240 |
| 4 | लिबर्टी शूज लि0, करनाल | आर0ए0एफ0 शूज | 3762000 | 75240 |
| 5 | एक्यूरेट फारगिंग नई दिल्ली | हैलमैंट | 1050000 | 21000 |
| 6 | धीरज फुटक्राफ्ट, करनाल | पीटी सूज | 756000 | 15120 |
| 7 | क्लिफ क्लाईम्बर, देहरादून | ग्राउण्ड सीट | 366240 | 7325 |
| 8 | क्लिफ क्लाईम्बर, देहरादून | किट बैग | 394800 | 7896 |
| 9 | मेहनी वूलन अमृतसर | अंगोला कपड़ा | 1497420 | 29948 |
| 10 | Girraj Knitwears, DDUN | मच्छरदानी | 875700 | 17514 |
| 11 | Girraj Knitwears, DDUN | ऊनी वी नेक जर्सी | 2657340 | 53147 |
| 12 | Girraj Knitwears, DDUN | ऊनी अण्डर बनियान | 487200 | 9744 |
| 13 | Girraj Knitwears, DDUN | ऊनी अण्डर पैन्ट | 917700 | 18354 |
| 14 | Girraj Knitwears, DDUN | डबल फ्लाई टेन्ट कम्पलीट | 5653305 | 113066 |
| 15 | Girraj Knitwears, DDUN | डबल फ्लाई आउटर पार्ट | 1742370 | 34847 |
| 16 | Girraj Knitwears, DDUN | रेन सूट | 1566600 | 31332 |
| 17 | Girraj Knitwears, DDUN | सिंगल फ्लाई टेन्ट कम्पलीट | 1232630 | 24653 |
| 18 | Shree Ram Fabrics & Allied Industries, ludhiana | टेरीकाट कपड़ा खाकी | 4156000 | 83120 |
| 19 | Shree Ram Fabrics & Allied Industries, ludhiana | टेरीकाट कपड़ा खाकी | 3294000 | 65880 |
| | | **योग** | **35592723** | **711853** |

[illegible]**4** [illegible] **39.19** [illegible]

[illegible] .2006 [illegible] 08 [illegible] 24, [illegible] 08,[illegible] 01 [illegible] 236.94 [illegible]

□□□□ □□□ □□ 50 □□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□ □□□ □□□□□□/2006 □□□ □□ 75.00 □□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□ □□□□ □□ 391.92 □□□ □□□ 2011 □□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□ □□ 155.05 □□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□ □□ □□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□ □□ □□ □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□

□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□□□ 2005.06 □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□ 02 □□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□ 10 □□□□□□□□ □□ 39.19 □□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ 2015 □□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□ 2017 □□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□

□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□□0 39.19 □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ 2 □□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □ □□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□

□□□□ □□ 39.19 □□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□

□□□ □□ □

□□□□□□□□□**5** □□ **30** □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□

□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ 2013 □□ □□□□□□□ 8443-106 □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□

□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ 2014 □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ **वर्ष** 2011.12 □□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ 121 □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□ 30 □□□□ □□

□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ Gas cromatograph with masa Spectrophotometer □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□

□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□ Gas Cromatograph with mass Spectrophotometer □□ □□□□□□ □□ Gas cromatograph FED&ECD Detector and Aut0sampler with other accessoriec □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ 01 □□□□□□□□ 2016 □□□□ □□□□□□□ 18 □□□□□□ 2017 □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ 2017 □□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□

□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□,□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□, □□ □□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ 2013 □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □ □□ □□ □□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□ □□□□ नही तो □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□ इ□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ 2011-12 □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ हुआ□

□□□□ □□ 30 □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□

**भाग-III**

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण-

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | भाग-2 'अ' प्रस्तर संख्या | भाग-2 'ब' प्रस्तर संख्या | **STAN** |
|---|---|---|---|
| 22/2015-16 | 01 | 01,02,03 | - |

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः-

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण | अनुपालन आख्या | लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| 22/2015-16 | 01- भाग-2 अ, 01,02,03- भाग-2ब | सलंग्नक | प्रस्तर यथावत रखने की संस्तुति | |
| | | | | |

भाग- IV

**इकाई के सर्वोतम कार्यः-** शून्य

भाग- V

**आभार**

1- कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय उत्तराखण्ड, देहरादून तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः- शून्य

2- सतत् अनियमितताये:- शून्य

3- लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया-

| क्र.सं. | नाम | पदनाम | कार्यरत समय अवधि | |
|---|---|---|---|---|
| | | | कब से | कब मे |
| 1 | श्री दीपम सेठ | महानिरीक्षक | 30.11.2014 | 07.05.2016 |
| 2 | श्री जी0एस0 मर्तोलिया | महानिरीक्षक | 10.05.2016 | वर्तमान तक |

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/सामान्य क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

सामान्य क्षेत्र